

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या-1195/2022

कम्प्यूटर नंबर: 23/2022

उत्तराखण्ड राज्य

बनाम

भूपेन्द्र सिंह

धारा-एम.वी.एक्ट

थाना-खटीमा

दिनांक: 06.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार राठौर न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त द्वारा फौजदारी वाद संख्या 1195/2022 अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम के मामले में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करता है। अभियुक्त मामले का निस्तारण कराना चाहता है। अतः मामले को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण कराने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त के जुर्म इकबाली प्रार्थना पत्र के कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को धारा 184, 184IV, C 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को मुव0 7000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(दुर्गा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा,

जिला उधम सिंह नगर।